necessary for the purposes aforesaid or as may be referred to it from time to time by the Government.

9. The Government have constituted an informal Committee of 3 Chief Justices to examine the problem of arrears in High Courts and suggest remedial measures.

औद्योगिक रूप से पिछड़े हुये इलाकों का सर्वेक्षण

808. **श्री रामचन्द्र विकल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है जो कि औद्योगिक रूप से बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों के नाम क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर टिहरी गढ़वाल तथा पौड़ी गढ़वाल का औद्योगिकीकरण करने के लिए कोई योजनायें तैयार की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) तथा तथा (ख) 1969 में योजना आयोग ने 246 जिलों/क्षेत्रों को औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों/क्षेत्रों के रूप में चुना था । जिनमें कोई बड़ा/मझोला उद्योग नहीं है ऐसे जिलों का चयन करने के लिये नवम्बर, 1981 में एक सर्वेक्षण और किया गया था । इस प्रकार के जिलों की सूची 9 अप्रैल, 1985 के प्रेस टिप्पण के साथ पठित "इन्सेन्टिव्स फार इण्डस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज—अप्रैल, 1984" नामक पुस्तिका में उपलब्ध है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) तथा (घ) जिले/क्षेत्र विशेष के औद्योगीकरण का प्राथमिक दायित्व संबंधित राज्य सरकारों पर होता है । केन्द्र सरकार विभिन्न प्रोत्साहन और रियायतें देकर उनके प्रयासों में सहायता पहुंचाती है । पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल सहित उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को विशेष क्षेत्रों की मान्यता दी गयी है ये जिले श्रेणी "क" में रखे गये है । इन जिलों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमी अधिकतम 25 प्रतिशत तक केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने के पात्र हैं । जिसकी अधिकतम राशि 25 लाख रुपये तक (जिसे इलेक्ट्रानिकी उद्योगों के मामले में बढ़ा कर 50 लाख रुपये कर दिया गया है ।) हो सकती है । साथ ही रियायती वित्त तथा लाइसेंसों आदि के मामले में सर्वोच्च अधिमान भी मिल सकता है ।

टिहरी गढ़वाल तथा पौड़ी गढ़वाल "उद्योग रहित जिले" हैं और राज्य सरकार भी चुने हुए विकास केन्द्रों में अवस्थापना विकास के लिये प्रति जिला कुल लागत का एक तिहाई केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त करने की अधिकारी है जिसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपये रखी गई है ।

809. [*Transferred to the 6th March*, 1986.]

Protection to indigenous capital goods Industry

810. SHRI KAPIL VERMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have given more concessions to the MRTP Companies as part of its liberalised policy; if so, what are the details thereof and the reasons thereof;

(b) whether Government propose to give any protection to the indigenous capital goods industry, which may be vulnerable to unfair external competition; if so, what are the details of the measures being taken; and